तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **छीतर बनाम तहसीलदार** **407/15**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.17	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा उपरोक्त उनवानी अपील न्यायलय श्रीमान के समक्ष तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित पामान्तरकरण आदेश संख्या 2816 दिनांक 05.11.2015 के खिलाफ प्रस्तुत की है जबकि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत तहसीलदार क्षरा पारित नामान्तरकरण के आदेशके खिलाफ धारा 75 के तहत अपील केवल मात्र अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करनाबाध्यकारी है,ऐसी सूरत में अपीलान्ट द्वारा प्रस्ततत अपी न्यायलय श्रमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधकिार में नही होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के बाध्यकारी प्रावधानों के तहत विबंधित होने से पोषणीय नही है एवं हैवी कोस्ट के सरसरी तौर पर ही खारिज फरमाये जानेयोग्य है। अतः निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र को स्वीकार फरमायाजाकर अपीलान्ट्स क्षरा प्रस्तुत अपील को आदेश 7 निश्यम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत पोषणीय नही होने से सरसरी तोर पर निरस्त फरमाये जान का आदेश प्रदान किया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपील सहवन से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हुई इसलिये अपील अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाने के आदेश फरमावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान प्रकरण विवादित नही रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने पर अपील पर न्यायालय हाजा द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नही अपील को चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय एवं क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण अधिवक्ता अपीलान्ट को अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाई जावे तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature]	मूल पत्रावली दस्तावेज सहित प्राप्त की 31.10.17 (हितेश अग्रवाल एडवोकेट)